प्रस्तावना

भारतीय वानिकी अनुसंधान एंव शिक्षा परिषद्, वनों के वैज्ञानिक प्रबंध, वृक्ष सुधार, वैज्ञानिक एंव जैव प्रौद्योगिकीय अनुसंधानों द्वारा वानिकी उत्पादकता, निम्नीकृत भूमि का जैव उपचार, वन उपज का सक्षम उपयोग, वन उत्पादों का उपयोगिता परिवर्धन, जैवविविधता का संरक्षण एंव जलवायु परिवर्तन, विभिन्न कृषि–पारिस्थितिकीय क्षेत्रों के लिए प्रभावी कृषि वानिकी मॉडल, नीति अनुसंधान, पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन और एकीकृत नाशीजीव एंव रोग प्रबंध सुनिश्चित करने के लिए वानिकी कि सभी पहलुओं पर अनुसंधान, शिक्षा और विस्तार का आयोजन, प्रोत्साहन, संचालन और समन्वयन करके वानिकी अनुसंधान की दिशा में एक वास्तविक एप्रोच विकसित करने हेतु, राष्ट्रीय वानिकी अनुसंधान तंत्र में शीर्ष संस्था है।

परिषद् के उद्देश्य

- वानिकी अनुसंधान और शिक्षा एंव इनके अनुप्रयोग के लिए सहायता और प्रोत्साहन देना और समन्वयन करना।
- वानिकी तथा अन्य सम्बद्ध विज्ञानों के लिए राष्ट्रीय वन पुस्तकालय एंव सूचना केन्द्र को विकसित करना और उसका रखरखाव करना।
- वनों और वन्य प्राणियों से सबंधित सामान्य सूचना और अनुसंधान के लिए एक वितरण केन्द्र के रूप में कार्य करना।
- वानिकी विस्तार कार्यक्रमों को विकसित करना तथा उन्हें जन–संचार, श्रव्य–दृश्य माध्यमों और विस्तार मशीनरी द्वारा प्रसारित करना।
- वानिकी अनुसंधान, शिक्षा और सम्बद्ध विज्ञानों के क्षेत्र में परामर्शी सेवाएं प्रदान करना।
- उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अन्य सभी आवश्यक कार्य करना।

राष्ट्र की वानिकी अनुसंधान आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए देश के विभिन्न जैव–भौगोलिक क्षेत्रों में परिषद् आठ क्षेत्रीय अनुसंधान संस्थान और तीन अनुसंधान केन्द्र हैं। क्षेत्रीय अनुसंधान संस्थान देहरादून, शिमला, रांची, जोरहाट, जबलपुर, जोधपुर, बंगलौर और कोयम्बटूर में तथा केन्द्र इलाहाबाद, छिंदवाड़ा और हैदराबाद में स्थित हैं। इन संस्थानों एवं केन्द्रों के कार्यकलापों का ब्योरा रिपोर्ट के अलग–अलग अध्यायों में दिया गया है। भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद् (मुख्यालय) में वानिकी अनुसंधान, शिक्षा और विस्तार के कार्यकलाप नीचे दिए अनुसार है।

वानिकी अनुसंधान

परियोजना सूत्रीकरण प्रभाग : पहचान किए गए प्रमुखता वाले क्षेत्रों में परिषद् संस्थानों/केन्द्रों की अनुसंधान परियोजनाओं के समन्वयन और उनकी निधीयन आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न राष्ट्रीय एंव अन्तर्राष्ट्रीय दाता एजेन्सियों में इनको प्रस्तुत करने के लिए परिषद् संस्थानों एंव दाता एजेन्सियों के बीच एक केन्द्रक एजेन्सी के रूप में कार्य करता है, दाता एजेन्सियों से परिषद् संस्थानों को धन जारी करने का समन्वयन और पहचान किए गए प्रमुखता वाले क्षेत्रों में परियोजना प्रस्तावों का इनकी उपयुक्तता के संबध में मूल्यांकन करता है। यह प्रभाग संयुक्त वन प्रबंध से संबंधित विषयों, जैसे–प्रशिक्षण नियमावली आदि तैयार करना, को भी देखता है।

बारह अन्तर्राष्ट्रीय परियोजनाएं और 126 राष्ट्रीय परियोजनाएं कार्यान्वयन की विभिन्न अवस्थाओं में हैं। तेइस अन्तर्राष्ट्रीय परियोजनाएं और 7 अन्तर्राष्ट्रीय सिद्धान्त नोट्स, 30

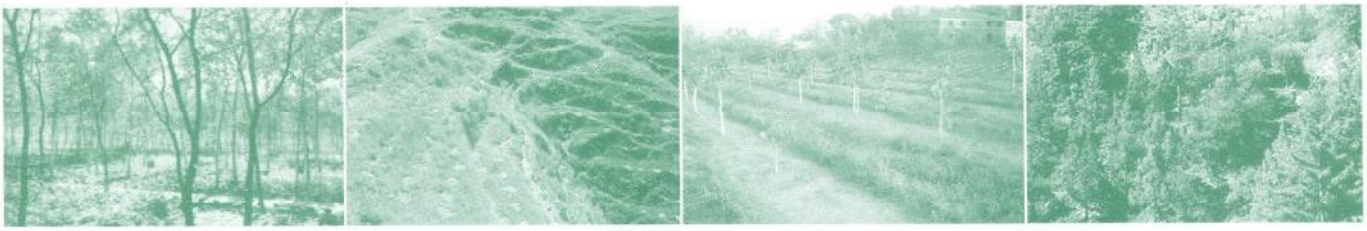

अन्तर्राष्ट्रीय दाता एजेन्सियों को निधीयन के लिए प्रस्तुत किया गया है।

एकीकृत प्राकृतिक संसाधन प्रबंध एंव निर्धनता ह्रास पर जे.बी.आई.सी. परियोजना हेतु मॉड्स माइक्रोप्लान तैयार करने के लिए हरियाणा वन विभाग हेतु एक परामर्शी परियोजना प्रगति पर है।

योजना और कार्यक्रम प्रभाग : अनुसंधान निदेशालय के तहत नए अनुसंधान परियोजना प्रस्तावों की योजना, प्रक्रमण एंव निष्पादन के कार्य देखता है और परिषद् के अधीन सभी संस्थानों की जारी अनुसंधान परियोजनाओं का फनरीक्षण करता है।

वर्ष 2004–2005 के दौरान, योजना और कार्यक्रम प्रभाग ने संस्थान स्तर पर अनुसंधान सलाहकार समिति की बैठक का समन्वयन किया। क्षेत्र में वानिकी परिदृश्य का विश्लेषण और इनके द्वारा अनुसंधान आवश्यकताओं की पहचान करने के उपरान्त परिषद् के सभी संस्थानों ने अपने–अपने संस्थानों के लिए अनुसंधान योजना तैयार की। इसके बाद शोधार्थियों द्वारा अनुसंधान परियोजनाएं तैयार की गई। अन्त में इन परियोजनाओं की अनुसंधान सलाहकार समूह द्वारा स्वीकृति दी गई, जिन्हें राष्ट्रीय वानिकी अनुसंधान योजना के अनुसार छठी अनुसंधान योजना समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

परिषद् के अधीन आठ संस्थानों द्वारा प्रस्तुत नए अनुसंधान प्रस्तावों को अन्तिम स्वीकृति के लिए श्री जी.के. प्रसाद, महानिदेशक, भारतीय वानिकी अनुसंधान एंव शिक्षा परिषद् की अध्यक्षता में 1 और 2 मई 2005 को अनुसंधान नीति समिति की बैठक बुलाई गई।

नयी और जारी परियोजनाओं की संस्थानवार संख्या नीचे दिए अनुसार है :

क्र.सं.	संस्थान का नाम	नई परियोजनाओं की संख्या	जारी परियोजनाओं की संख्या
1.	वन अनुसंधान संस्थान, देहरादून	15	51
2.	शुष्क वन अनुसंधान संस्थान, जोधपुर	4	28
3.	हिमालयन वन अनुसंधान संस्थान, शिमला	3	22
4	वन आनुंवशिकी एंव वृक्ष प्रजनन संस्थान, कोयम्बटूर	8	19
5.	वन उत्पादकता संस्थान, रांची	3	17
6.	काष्ठ विज्ञान एंव प्रौद्योगिकी संस्थान, बंगलौर	6	63
7.	वर्षा वन अनुसंधान संस्थान, जोरहाट	7	14
8.	उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान, जबलपुर	8	33
	योग	**54**	**247**

योजना और कार्यक्रम प्रभाग ने भारतीय वानिकी अनुसंधान एंव शिक्षा परिषद् के प्रारम्भ से समाप्त अनुसंधान परियोजनाओं की एक सूची भी तैयार की है। "ऐन इन्वेन्ट्री ऑफ कम्पलीटेड प्रोजेक्ट्स ऑफ आई.सी.एफ.आर.ई, इन्स्टीट्यूट, 1990–2004" नामक एक दस्तावेज तैयार किया गया और इसे लगातार अद्यतन किया जा रहा है। यह दस्तावेज परिषद् की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

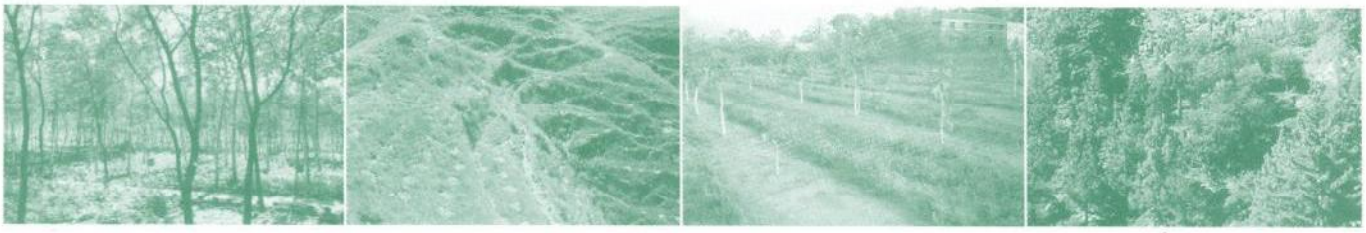

अब तक समाप्त परियोजनाओं की संस्थानवार स्थिति नीचे दिए अनुसार है:

संस्थान का नाम	समाप्त परियोजनाओं की संख्या
शुष्क वन अनुसंधान संस्थान, जोधपुर	30
वन अनुसंधान संस्थान, देहरादून	130
हिमालयन वन अनुसंधान संस्थान, शिमला	37
वन आनुवंशिकी एंव वृक्ष प्रजनन संस्थान, कोयम्बटूर	29
वन उत्पादकता संस्थान, रांची	06
काष्ठ विज्ञान एंव प्रौद्योगिकी संस्थान, बंगलौर	58
वर्षा वन अनुसंधान संस्थान, जोरहाट	37
उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान, जबलपुर	54
योग	381

योजना और कार्यक्रम प्रभाग ने 24 नवम्बर से 2 दिसम्बर, 2004 तक सम्पन्न इन्टरनेशनल पापलर कमीशन, सेन्टियागो के 22वें सत्र में भारत की सहभागिता के लिए समन्वयन किया और "कन्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपलर्स एंड विलोज़ इन सस्टेनेबल फॉरेस्ट्री एंड रूरल डवलपमेन्ट इन इंडिया" पर देश का शोधपत्र तैयार किया। महानिदेशक, भा.वा.अ.शि.प. द्वारा दो पावर प्वाइंट प्रस्तुतिकरण, यथा–"पॉपलर–ए गिट फॉर इंडियन फारमर्स" और "देहरादून–ए वाइबरेन्ट वेन्यू फॉर आई पी सी 2008", किया गया।

योजना और कार्यक्रम प्रभाग ने पेटेन्टों पर आँकड़ा आधार तैयार करनें के लिए परिषद् के सभी संस्थानों के साथ समन्वयन भी किया और यह नियमित रूप से इसका मानीटरन कर रहा है।

पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रभाग पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन और पर्यावरणीय प्रंबध योजना से संबधित परामर्शी कार्य करता है, जो विकास प्रक्रिया में पर्यावरणीय चिन्ताओं को संघटित करने और उन्नत निर्णय लेने के लिए सिद्ध प्रबंध उपाय हैं। प्रभाग ने निम्न कार्य किए है:

वनस्पति और प्राणिजात पर तेल्लावेगू नाला (मौसमीय नाला) के पुनर्व्यवस्थापन के प्रभाव का मूल्यांकन करने हेतु परिषद्, वन आनुवंशिक एंव वृक्ष प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर और वन अनुसंधान केन्द्र, हैदराबाद से विशेषज्ञों के दल द्वारा अध्ययन किया गया– सिंगेरीनी कॉलेरिज कम्पनी लिमिटेड कोथागुडेम क्षेत्र, जिला, खम्माम (आन्ध्र प्रदेश) के लिए मूल्यांकन अध्ययन। वनस्पति, प्राणिजात पर प्रभाव तथा न्यूनीकरण उपायो पर एक विस्तृत रिपोर्ट एस सी सी एल को प्रस्तुत की गई।

काष्ठ विज्ञान एंव प्रौद्योगिकी संस्थान, बंगलौर और सी डब्ल्यू पी आर एस, पुणे के साथ समन्वयन करके परिषद् द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार भारत में पहली बार कुद्रमुख आइरन ओर कम्पनी लिमिटेड, बंगलौर के लिए अन्तिम रूप से खान को बन्द करने की योजना (पारि–पुर्नवास योजना) की मसौदा रिपोर्ट तैयार करके प्रस्तुत की गई।

छत्तीसगढ़ विद्युत बोर्ड, रायफर के लिए जिला–दांतीवाड़ा में बोधघाट जल विद्युत परियोजना (4 x 125 मे.वा.) के लिए पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, सामाजिक–आर्थिक मूल्यांकन, पर्यावरणीय प्रबंध योजना और न्यूनीकरण उपाय शुरू किए गए। पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट और परिगणना, पारिस्थितिकीय मान, जीन पूल की जैवविविधता क्षति तथा बोधघाट जल विद्युत परियोजना के परियोजना–प्रभावित लोगों की आवश्यकता के पुनर्मूल्यांकन पर मसौदा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। व्यापक पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन,

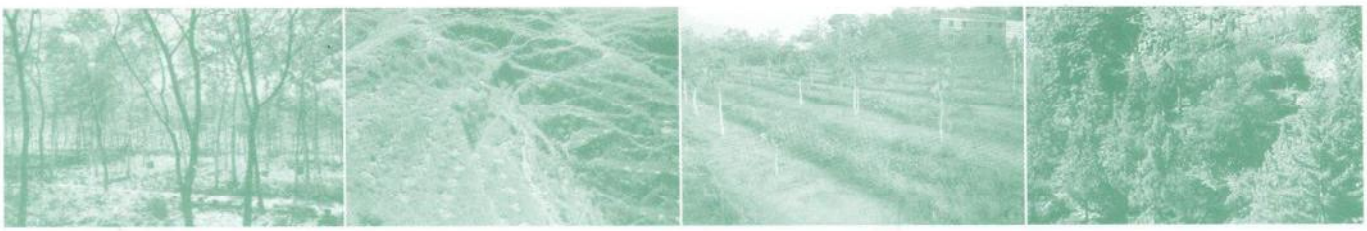

सामाजिक–आर्थिक प्रभाव मूल्यांकन और पर्यावरणीय प्रबंध योजना प्रगति पर है।

उत्तराँचल राज्य के चमोली जिले में प्रस्तावित तपोवन विष्णुगाड़ जल शक्ति परियोजना 520 (44 X 130 मे.वा.) के लिए नेशनल थर्मल पावर प्रोजेक्ट लिमिटेड (एन.टी.पी.सी.) द्वारा परिषद् के पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रभाग को सामाजिक–आर्थिक प्रभाव मूल्यांकन और संवर्धनिक सर्वेक्षण का कार्य सौंपा गया है। गांव तपोवन में धौली गंगा नदी परियोजना का बांध बनाना प्रस्तावित है। इस परियोजना से आठ गांव, उदारहण– चमोली जिले के तपोवन, भेंगुली, चमोली, पया/चोर्मी, ढाक, रविग्राम, शीलोंग/झारकूला और अनिमठ/पैनी, प्रभावित होंगे।

परिषद् को पर्यावरण एंव वन मंत्रालयं के राष्ट्रीय वनीकरण एंव पारि–विकास बोर्ड द्वारा दिए गए कार्यक्रम के तहत वर्षा वन अनुसंधान संस्थान, जोरहाट ने दारांज एवं डिब्रूगढ़, असम में वृक्षारोपण कार्यकलापों का नमूना जांच सर्वेक्षण किया और रिपोर्ट तैयार हो रही है। भुवनेश्वर, उड़ीसा के तटवर्ती रक्षामेखला रोपण का मूल्यांन करने के लिए उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान द्वारा अध्ययन किया गया और रिपोर्ट तैयार की जा रही है। दक्षिण गारो (मेघालय) और दिनाफर (नागालैण्ड) में वर्षा वन अनुसंधान संस्थान द्वारा राष्ट्रीय वनीकरण एंव पारि–विकास बोर्ड के रोपणों का नमूना जांच सर्वेक्षण किया गया।

मध्य भारत के कुछ राज्यों को छोड़कर संघ क्षेत्र सहित भारत में सभी राज्यों में विभिन्न एजेन्सियों को उपलब्ध कराई गई प्रोत्साहन व्यापारिक योजनाओं का मूल्यांकन करने के लिए राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड, स्वास्थ्य एंव सामाजिक कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा परिषद् को एक परियोजना दी गई है। तदनुसार, परिषद् के पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रभाग ने कार्य शुरू कर दिया है।

जैवविविधता एंव जलवायु परिवर्तन प्रभाग : यह प्रभाग जैवविविधता एंव जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में परियोजनाएं लेता है। मुख्य कार्यकलाप इस प्रकार हैः

परिषद् द्वारा की गई पहल और राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर जलवायु परिवर्तन एंव वानिकी से संबंधित विषयों में जैवविविधता एंव जलवायु परिवर्तन प्रभाग के सक्रिय सहयोग को मान्यता देते हुए जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेन्सन (यू.एन.एफ.सी.सी.सी.) ने परिषद् को प्रेक्षक का स्तर प्रदान किया है। प्रेक्षक का स्तर मिलने के बाद भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद् एक स्वतंत्र संगठन के रूप में सी.ओ.पी./एम.ओ.पी. की विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय बैठकों में भाग ले सकती है।

'फॉरक्लाइमीट–इंडिया' (वन एवं जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण नेटवर्क) सहयोगी परियोजना, जिसे भारत में चयनित स्थानों में न्यूनीकरण सुअवसरों और सक्षम लागत एंव लाभों के मूल्यांकन को देखने के लिए वर्ष 2002–2003 में शुरू किया गया था, 2004–2005 में जारी है। इस परियोजना के फेज–I में, फार्म वानिकी के तहत कार्बन पृथक्करण क्षमता और सामुदायिक वानिकी परिदृश्य पर उत्तराँचल में दो केश अध्ययन पूरे किए गए। यू.एस.–इंडिया फॉरक्लाइमीट परियोजना के तहत 13 और 14 अप्रैल, 2004 को इंडिया इन्टरनेशनल सेन्टर, नई दिल्ली में "वानिकी न्यूनीकरण परियोजनाओं में कार्य पद्धतियां" विषय पर दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन भी किया गया। डा. प्रोदिप्तो घोष, सचिव, पर्यावरण एंव वन मंत्रालय ने मुख्य भाषण दिया और उन्होंने यू एस तथा भारत द्वारा विकसित किए जा रहे जलवायु परिवर्तन विषयों पर विश्वसनीय सहयोग पर जोर दिया। परियोजना सहयोगियों, यथा–यू एस एन्वायरमेन्टल प्रोटेक्शन एजेन्सी, लौरेन्स बर्कले नेशनल लैबोरेटरी, यू.एस.ए, भारतीय विज्ञान संस्थान, पर्यावरण एंव वन मंत्रालय, की सहभागिता के अलावा राज्य वन विभागों, विभिन्न अन्य वैज्ञानिक संगठनों और गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों ने भी इस कार्यशाला में भाग लिया।

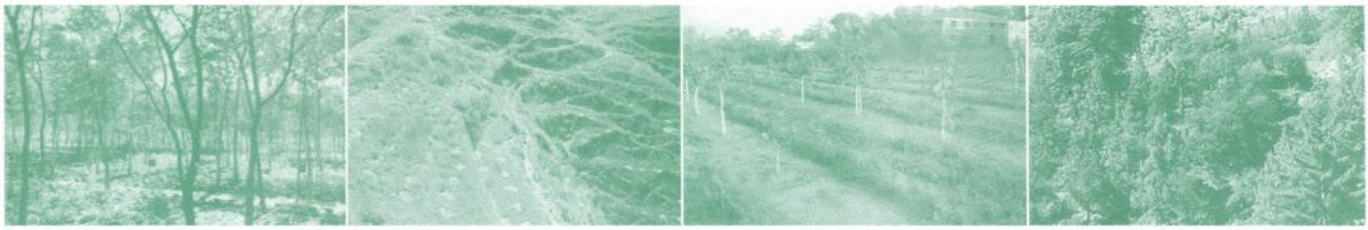

डॉ. प्रोदिप्तो घोष, सचिव, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, वानिकी न्यूनीकरण परियोजनाओं में कार्यपद्धतियों पर कार्यशाला के उद्घाटन के अवसर पर मुख्य भाषण देते हुए

ई यू–इंडिया स्माल प्रोजेक्ट्स फैसिलिटी कार्यक्रम के तहत भारतीय वानिकी अनुसंधान एंव शिक्षा परिषद् के जैवविविधता एंव जलवायु परिवर्तन प्रभाग ने "बीयोन्ड क्योटोः ई यू–इंडिया सी डी एम सहयोग : पणधारी संवाद प्रोत्साहित करना और वानिकी न्यूनीकरण परियोजनाओं में बाधाओं का विश्लेषण" शीर्षक से एक परियोजना प्राप्त करने के लिए सफलतापूर्वक प्रतिस्पर्द्धा की। परियोजना का मुख्य उद्देश्य भारत में सी.डी.एम. एंव वानिकी क्षेत्र में पणधारी संवाद और क्षमता निर्माण करना है। भारत में सी.डी.एम. वानिकी परियोजनाओं में बाधाओं के विश्लेषण पर एक अध्ययन भी किया जाएगा। यह परियोजना आस्ट्रिया की जोएनीयम रीसर्च और प्रफीबर्ग यूनिवर्सिटी जर्मन के साथ सहयोग में है। ई यू से प्राप्त कुल अनुदान यूरो 79,000 है। सी.डी.एम. वानिकी परियोजनाओं में संवाद और सहयोग विकसित करने के लिए इस परियोजना में दो अन्तर्राष्ट्रीय कार्यशालाएं करने का प्रस्ताव भी है।

जैवविविधता और जलवायु परिवर्तन प्रभाग वर्तमान में जैवविविधता संदर्भिका और महत्वपूर्ण प्रजाति/वन किस्मों के जीव पूलों के परिरक्षण तथा पारिस्थितिकीय प्रक्रिया को अद्यतन करने के लिए भी परिरक्षण भूखण्डों के पुनरूद्धार की सम्भावनाओं का समन्वयन कर रहा है। वर्ष 2004–2005 में, परिषद् के विभिन्न संस्थाओं के वैज्ञानिकों और संबन्धित राज्य वन विभागों के अधिकारियों ने अनेकों राज्यों एंव संघ क्षेत्रों के वन क्षेत्रों का भ्रमण किया ताकि वन अनुसंधान संस्थान द्वारा 1920 के आगे से सृजित परिरक्षण भूखण्डों के स्तर का भौतिक रूप से सत्यापन कर सकें।

अनेकों राज्यों यथा–आन्ध्र प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, उत्तराँचल और उत्तर प्रदेश ने प्रतिनिधि क्षेत्र में कई वर्षों में होने वाले पारिस्थितिकीय परिवर्तनों का मूल्यांकन करने के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण परिरक्षण भूखण्ड़ों के अस्तित्व एंव रखरखाव की सूचना दी है।

सभी राज्यों से एक बार परिरक्षण भूखण्ड़ों का स्तर ज्ञात हो जाने के बाद भारतीय वानिकी अनुसंधान एंव शिक्षा परिषद् राज्य वन विभागों के साथ विचार–विमर्श करके देशभर में और अधिक भूखण्डों को तैयार करने के लिए एक कार्यक्रम तैयार और कार्यान्वित करने का प्रयास करेगी।

वानिकी शिक्षा

विश्वविद्यालय को सहायक अनुदानः वानिकी संकायों की अवसंरचना सुविधाओं, जैसे–कार्यालय भवन, प्रयोगशालाएं और क्षेत्र उपकरण, ग्लारा हाउरा/मिरट चैम्बर, परिवहन एंव कैम्प उपकरण, कम्प्यूटर केन्द्र, मिनी कम्प्यूटर/पी सी टर्मिनल्स, पुस्तकालय, खेलकूद तथा विद्यार्थियों की अन्य सुख–सुविधाओं, को सशक्त बनाने के लिए देश में वानिकी शिक्षा प्रदान करने वाले विश्वविद्यालयों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई। कार्यशालाओं, सेमिनारों संगोष्ठी के आयोजन, राष्ट्रीय सेमिनारों, संगोष्ठी में शिक्षकों की सहभागिता, विद्यार्थियों के अध्ययन दौरों, शिक्षण–नियम पुस्तिका, आदि को तैयार करने के लिए सहायता द्वारा वानिकी संकायों की तकनीकी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए भी सहायक अनुदान उपलब्ध कराया गया। वर्ष 2004–2005 में

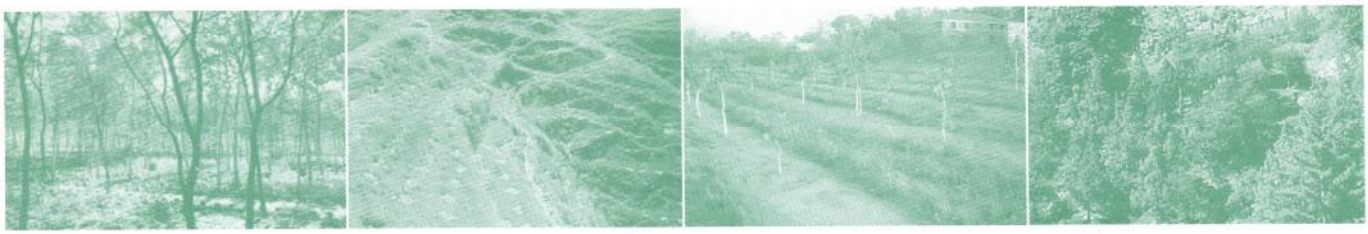

11 विश्वविद्यालयों को सहायक अनुदान के तहत कुल रूपये 200 लाख स्वीकृत किए गए जो इस प्रकार है:

क्र.सं.	विश्वविद्यालय का नाम	रूपये (लाख में)
1.	डा. वाई. एस. परमार औद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय, नौनी, सोलन	7.30
2.	केरल कृषि विश्वविद्यालय, मुख्य परिसर, त्रिसुर	6.50
3.	वन अनुसंधान संस्थान (सम–विश्वविद्यालय) देहरादून	125.00
4.	हेमवतीनन्दन बहुगुणा गढवाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर	2.00
5.	बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, डाकघर–कनकी, रांची	8.00
6.	जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर	7.00
7.	कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, वानिकी महाविद्यालय, सिरसी, धारवाड़	12.50
8.	सी.एस.के. हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, पालमपुर	9.65
9.	चन्द्रशेखर आजाद कृषि एंव प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कानपुर	10.05
10.	इलाहाबाद कृषि सम–विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	7.00
11.	ए.एस.पी.ई.ई. औद्योगिकी एंव वानिकी महाविद्यालय, गुजरात कृषि विश्वविद्यालय, नवसारी	5.00
	योग	200.00

वानिकी विस्तार

मीडिया और प्रकाशन प्रभाग: वानिकी क्षेत्र में अनुसंधान उपलब्धियों के प्रचार के लिए परिषद् के संस्थानों द्वारा अपनाई जा रही रणनीतियों और विस्तार कार्यकलापों को देखता है। यह प्रभाग परिषद् के संस्थानों के विविध कार्यकलापों का मासिक विवरण रखता है और महानिदेशक, भा.वा.अ.शि.प. के मासिक अ.शा. पत्र द्वारा पर्यावरण एंव वन मंत्रालय को अवगत कराता है। भा.वा.अ.शि.प. के तिमाही न्यूजलेटर में वानिकी के सभी विषय क्षेत्र में परिषद् के संस्थानों द्वारा तिमाही के दौरान की गई नवीनतम महत्वपूर्ण उपलब्धियों को दिया जाता है। इसके अलावा, भा.वा.अ.शि.प. ब्राशुअर्स के अद्यतन का कार्य प्रगति पर है। संसद के पटल पर रखने के लिये भा.वा.अ.शि.प. वार्षिक रिपोर्ट के रूप में परिषद् एंव इसके संस्थानों की वार्षिक रिपोर्ट को एकत्रित, संकलित और सम्पादित किया जाता है। अन्तिम प्रकाशन से पूर्व इस प्रभाग द्वारा परिषद् के संस्थानों की किताबों, पुस्तिकाओं, पम्फलेटों और तकनीकी रिपोर्टों का सम्पादन, पुनरीक्षण और प्रक्रमण करना अनिवार्य है। अन्तिम प्रकाशन से पहले वर्ष के दौरान संस्थानों से प्राप्त विभिन्न मसौदा प्रकाशनों की मीडिया और प्रकाशन प्रभाग द्वारा जांच की गई।

सामान्य प्रशासन प्रभाग

वानिकी सांख्यिकी प्रभाग ने वर्ष के दौरान निम्न कार्य किए:

1. फॉरेस्ट्री स्टैटिस्टिक्स इंडिया 2003 का प्रकाशन।
2. टिम्बर/बैम्बू ट्रेड बुलेटिन के चार अंको का प्रकाशन।
3. पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रभाग को, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत बोर्ड के लिए, इसकी परियोजना हेतु सांख्यिकीय सहायता उपलब्ध कराई गई।

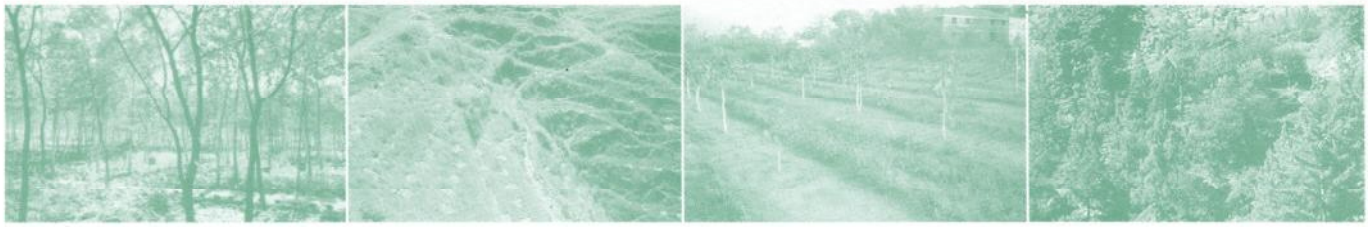

4. व.अ.सं. सम–विश्वविद्यालय में व्याख्यान दिए गए।

5. व.अ.सं. की विभिन्न जारी परियोजनाओं में सांख्यिकीय सलाह दी गई।

6. परिषद् के सभी संस्थानों के सहयोग से केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन, सांख्यिकीय एंव कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निधीयित एक परियोजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है। 27 और 28 जनवरी, 2005 को वन विज्ञान भवन में पर्यवेक्षकों के लिए एक अनुस्थापन ओरिएन्टेशन कार्यक्रम आयोजित किया गया।

7. पंजाब वन विभाग को सही नमूना आकार और नमूना तीव्रता प्रतिशतता के संबंध में तकनीकी राय दी गई, जिससे वे एक विशेष क्षेत्र में पातन का आकलन कर सके।

8. भारतीय सांख्यिकी सेवा परिवीक्षार्थियों को व्याख्यान दिया।

सूचना प्रौद्योगिकी प्रकोष्ठ प्रशासन निदेशालय, भा.वा.अ.शि.प. के तहत एक सेवा उपलब्ध कराने वाला प्रकोष्ठ होने के नाते यह परिषद् मुख्यालय और व.अ.सं. में उपभोक्ताओं की सभी तरह से सूचना प्रौद्योगिकी आवश्यकताओं को पूरा करता है। प्रकोष्ठ के मुख्य कार्यकलाप प्रशिक्षण, लान–वान सहायता, ई गवरनेन्स तथा हार्डवेयर का रखरखाव करना है। मुख्य उपलब्धियां निम्नवत् है:

- भा.वा.अ.शि.प. तथा व.अ.सं. के अधिकारियों एवं कर्मचारियों और व.अ.स. सम–विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को प्रशिक्षण दिया गया।
- लान व वान के सुचारू संचालन के लिए विभिन्न किस्म के सर्वरो (10) तथा अन्य नेटवर्क का रखरखाव किया।
- उपभोक्ताओं को चौबीस घण्टे ई–मेल और इन्टरनेट सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए ई मेल सर्वर्स तथा प्रौक्सी सर्वर्स का रखरखाव।
- भा.वा.अ.शि.प. वेबसाइट (icfre.org) तथा परिषद् के दो अन्य संस्थानों, http:// hfri.icfre.org; http:// rfri.icfre.org के लिए वेबसाइट चालू की गई। इसके अलावा औषधीय पादपों पर वेबसाइट http:// marketinfoherbs.icfre.org; और इंडियन फॉरेस्टर http://indianforester.icfre.org की साइट शुरू की गई।
- भारतीय वानिकी अनुसंधान एंव शिक्षा परिषद् तथा वन अनुसंधान संस्थान में आहरण एंव संवितरण अधिकारियों के लिए एफ.ए.एस./पेरोल सहायता सुनिश्चित करके आई.एफ.आर.आई.एस. (प्रबंध सूचना प्रणाली) केन्द्रीयकृत ऑरेकल आंकडा आधार का रखरखाव।
- सन सर्वर का रखरखाव, राष्ट्रीय वन पुस्तकालय एंव सूचना केन्द्र के एक ही टी.एल.एस.एम. (समग्र पुस्तकालय स्वचलन सॉफ्टवेयर प्रबधं प्रणाली) ऑरकेल आंकडा आधार शुरू किया।
- केन्द्रीयकृत नेटवर्क वाइरसरोधी प्रबधं सर्वर उपलब्ध कराया जो चौबीस घण्टे वाइरस समस्याओं को देखता है।
- यह प्रकोष्ठ उपभोक्ताओं और ए.एम.सी. विक्रेताओं के बीच सम्बन्ध बनाता है।

प्रमुख उपलब्धियां

- वन अनुसंधान संस्थान, देहरादून ने 14.06.2004 को हरे बांस के उपचार के लिए वी.ए.सी.–एफ.आर.आई. प्रौद्योगिकी हासिल की। शीशम के पौधों में फ्यूजेरियम सोलानी के संक्रमण के विरूद्ध जड़ रक्षक के रूप में स्यूडोमोनास फ्लोरीसेन्स के उपयोग की पुष्टि की गई।
- डी. स्ट्रिक्टस की वृद्धि और प्रचुरोद्भवन बढाने में माइकोराइजा के एकीकरण के लिए बांस–अन्तः माइकोराइजा प्रणाली की गणना की गई।
- अनेकों उपयोगों के लिए लैण्टाना कमारा से एल्फा सैलूलोज, और इसके व्युत्पन्नों के उत्पादन के लिए विधियों को मानकीकृत किया गया, जिससे व्यापारिक महत्व के उत्पादों में इसका उपयोग करके इस हानिकर खर–पतवार के प्रबंध के लिए रास्ता तैयार हुआ।
- विनाइल मोनोमर्स, जल विलेय चतुष्क एंव सायनो एथिलीकृत टी के पी; जल विलेम कार्बोक्सीमीथाइल

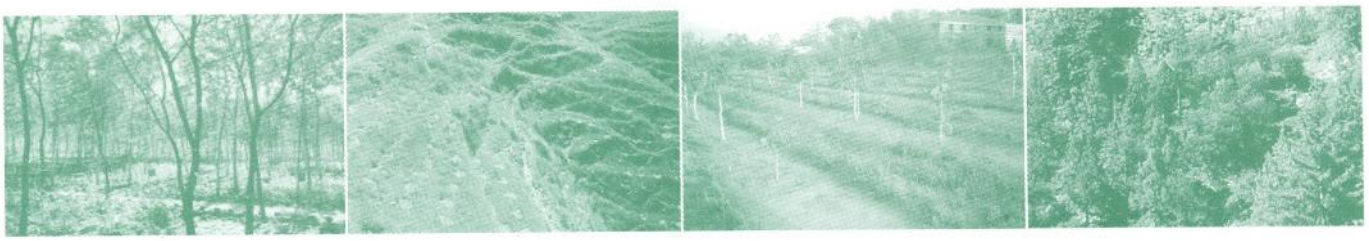

सेलूलोज और डेड्रोकैलामस स्ट्रिक्टस बांस और कॉटन लिन्टर के सेलूलोज से ऑर्गेनो विलेय सायनोएथिल, सेलूलोज के साथ केसिया आक्सिडेन्टेलिस के पॉलीसैकेराइड व्युत्पन्न ग्राफ्ट को–पॉलीमर्स के उत्पादन के लिए अभिक्रिया अवस्थाओं को मानकीकृत किया।

- उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान परिसर में मध्य भारत से वन मूल के 80 वंश और 4 कुलों से संबधित 120 प्रजातियों का पर–स्थाने संरक्षण किया गया।
- कालमेध (एन्ड्रोग्रेफिक पेनिकूलाटा) की गैर–विनाशक फसल कटान विधियों को मानकीकृत किया गया।
- सागौन निष्पत्रक एंव कंकालक के प्रकोप को कम करने के लिए महाराष्ट्र एंव मध्य प्रदेश के 200 हैक्टेयर सागौन रोपणों में ट्राइकोग्रामा रोसी के 3,00,00000 ततैये गुणित करके छोड़े गए। इसने सागौन वृद्धि की सलाना क्षति को 50 प्रतिशत से ज्यादा कम कर दिया।
- ई. ऑफिसिनेलिस के साथ उच्च उपज के लिए वृक्ष प्रजातियों (टेक्टोना ग्रैन्डिस), मेलाइना आर्बोरीया और एम्ब्लिका ऑफिसिनेलिस) और फसल प्रजाति (सोयाबीन और गेहू) को मिलाकर एक कृषिवानिकी मॉडल विकसित और प्रदर्शित किया गया।
- जैवविविधता पर एक उपयुक्त आँकड़ाआधार का विकास
- बॉक्साइट खान ढेरों के सुधार के लिए सक्षम माइकोराइजा एंव अन्य लाभकारी जीवाणुओं का चयन।

प्रमुख अनुसंधान उपलब्धियां

- भारत के लिए वन मृदा सूचना प्रणाली पर एक सॉफ्टवेयर व.अ.सं., देहरादून द्वारा विकसित किया गया। भारत के विभिन्न भागों से तीन सौ मृदा प्रोफाइलों के लिए आंकडों की प्रविष्टि की गई। आंकड़ा आधार उपभोक्ता अनुकुल है और डाटा कैब को आसानी से प्रविष्ट और पुनः प्राप्त किया जा सकता है।
- वन आनुंवशिकी एंव वृक्ष प्रजनन संस्थान, कोयम्बटूर द्वारा दक्षिण भारत के दुर्लभ और संकटस्थ पादपों की सत्तर प्रजातियों पर सूचना के लिए एक आंकड़ाआधार विकसित किया गया है।
- काष्ठ विज्ञान एंव प्रौद्यागिकी संस्थान, बंगलौर द्वारा काष्ठ की जैव अवनति के नियंत्रण के लिए पारि–अनुकूल परिरक्षकों को मानकीकृत किया गया है।
- भारत के लिए कम्प्यूटर आधारित वन मृदा सूचना प्रणाली का विकास।
- आर.ए.पी.डी. चिह्नकों को उपयोग करके भारत के 11 राज्यों से सागौन के 36 घन वृक्षों और म्यांमार की देशज एक सम्बद्ध प्रजाति (टेक्टोना हैमिल्टोनियाना वाल.) का आण्विक तालिका तैयार की गई।
- बम्बूसा टूल्डा, बम्बूसा वुल्गेरिस किस्म हरा, बम्बूसा मल्टिप्लेक्स और डेन्ड्रोकैलामस मेम्ब्रेनेसीयस की नाल कलमों और पार्श्व शाखा कलमों में बाह्य मूलोत्पत्ति की सवोत्तम अवधि के रूप में अप्रैल से जुलाई की पहचान की गई।

उत्कृष्टता के लिए आई.सी.एफ.आर.ई. अवार्ड

अवार्ड

2003–2004 के लिए उत्कृष्टता के लिए आई.सी.एफ.आर.ई. अवार्ड" डा. गैंदा सिंह, वैज्ञानिक, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान, जोधपुर को वानिकी अनुसंधान के क्षेत्र में तथा डा. एस. बालाजी, भा.व.से. पर्यावरण विभाग, तमिलनाडु सरकार को वन संरक्षण क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए दिया गया।

विभिन्न किस्म के रोगों से वन बीजों, पौधशाला पौधों एंव पादपों की सुरक्षा हेतु उल्लेखनीय वैज्ञानिक कार्य के लिए डा. जमालुद्दीन, वैज्ञानिक–एफ, उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान, जबलपुर को वर्ष 2001–2002 के लिए विशिष्ट वैज्ञानिक पुरूस्कार प्रदान किया गया।